

संख्या:- LIB/04-02/2017-18/Binding/01

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

दिनांक 20.07.2018

निविदा सूचना

कार्य का नाम : विश्व मामलों की भारतीय परिषद में पत्रिकाओं / समाचार पत्रों / संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग के लिए निविदा

महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रकाशन की तिथि	20.07.2018
बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ तिथि	20.07.2018
स्पष्टीकरण प्रारंभ दिनांक	20.07.2018
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	24.07.2018 (1700 Hrs)
बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भिक तारीख (ऑनलाइन)	24.07.2018 (1000 Hrs)
बोली प्रस्तुत करने की समाप्ति तिथि (ऑनलाइन)	06.08.2018 (1500 Hrs)
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	06.08.2018 (1530 Hrs)

क. रुपये 2,000 / - (दो हजार रूपए) का बयाना (EMD) दिल्ली / नई दिल्ली में किसी भी अनुसूचित बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से केवल नई दिल्ली में देय "विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली", उद्धरण के साथ होना चाहिए तथा यह परिषद में दिनांक 06.08.2018 सायं 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। बयाना धन (EMD) रोकड़/चेक/ सावधि जमा रसीद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बयाना धन (EMD) के बिना प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ख. मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. बोली केवल केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए i.e. <http://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

ग. सक्षम प्राधिकारी किसी भी कारण से बिना किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और परिषद के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(राजेश लाल)

अवर सचिव

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

## विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

TEL: 011-23317246-49

20.07.2018

विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, उपरोक्त पते पर ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परिषद में पत्रिकाओं / समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के तहत सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

अनुबंध-I

### कार्य का विवरण

विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली में इस अनुबंध के तहत काम करने के लिए आवश्यक कार्य का विवरण

नोट: दरों का उद्धरण देने से पहले, ठेकेदारों को अनुमान के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पुस्तकालय में सिलाई और बाइंडिंग के लिए सभी मर्दों का निरीक्षण करना चाहिए।

**"अखबारों की सिलाई और बाइंडिंग (लगभग 150) और संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के सिलाई और बाइंडिंग (लगभग 350)।"**

नोट: इन कार्यों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार सोमवार से शुक्रवार तक आईसीडब्ल्यूए में अपने कारीगरों / कर्मचारियों को तैनात करेगा।

**3.11** जैसा कि नीचे बताया गया है, ऑनलाइन बोली (सभी मामलों में पूर्ण) को दो कवर (तकनीकी और वित्तीय बोलियों) में ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए:

लिफाफा नंबर 1 "तकनीकी बोली" (निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किए जाने के लिए)

### **क्रम संख्या / दस्तावेज़**

### **फाइल प्रकार**

- |   |      |
|---|------|
| रुपये 2,000 / - (दो हजार केवल) की ईएमडी (स्कैन की गई कॉपी) और       |      |
| i. बैंक विवरण (प्रमाणित प्रति);                                     | .pdf |
| बोली लगाने वाले को बाइंडिंग / सिलाई के कार्य में 3 साल से ज्यादा के |      |
| ii. लिए अस्तित्व में होना चाहिए                                     | .pdf |

बाइंडिंग / सिलाई के ऐसे अनुबंध, जो पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 मार्च 2018

तक एकल अनुबंध के लिए 4 लाख या दो अनुबंधों के मामले में 2 लाख रुपए प्रति या तीन अनुबंधों के मामले में 1 लाख रुपये प्रति के लिए ;

इस आशय का प्रदर्शन प्रमाणपत्र कम से कम दो सरकारी विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / कॉर्पोरेट का संलग्न करें ;

.pdf

कार्य के दौरान कोई भी सूचना / डेटा / क्रेडेंशियल्स इत्यादि किसी भी स्थिति में बोलीदाता या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी को भी नहीं बताया जाएगा । इस स्थिति में फार्म और प्रासंगिक गोपनीयता अधिनियम के प्रासंगिक अंश लागू हो;

.pdf

आत्म-प्रमाणित प्रमाण पत्र कि बोलीदाता किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया तथा बोलीदाता / संगठन या इसके मालिक या इसके पार्टनर के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला पूरे भारतवर्ष में कही भी दर्ज नहीं है

.pdf

बोलीदाता पंजीकरण संख्या, पैन नंबर, जीएसटी नंबर के आवंटन से संबंधित दस्तावेज स्वयं साक्षात्कृत फोटोकॉपी का उत्पादन करेगा;

.pdf

अगर बोली लगाने वाले द्वारा उपरोक्त तकनीकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो वह अनुलग्नक- II में निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं

.pdf

(तकनीकी बोली)

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं
1.	फर्म लेबर कांट्रैक्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के साथ पंजीकृत है तथा उसकी वैधता तिथि ।	हाँ/नहीं
2.	पिछले 3 वर्षों के लिए बैलेंस शीट और पी एंड एल खाते की प्रतियां, जो प्रति वर्ष 10 लाख की सालाना कारोबार को प्रमाणित करती है।	हाँ/नहीं
3.	प्रॉविडेंट फंड आयुक्त, दिल्ली के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति और ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	हाँ/नहीं
4.	पंजीकरण प्रमाणपत्र / आवंटन पत्र की प्रतिलिपि 1. जीएसटी नंबर 2. आयकर विभाग से पैन	हाँ/नहीं
5.	ईएसआई के पंजीकरण प्रमाणपत्र	हाँ/नहीं
6.	प्रोफार्मा जिसमें अन्य संगठनों के विवरण शामिल हैं तथा जहां ऐसे करार किए गए / हैं	हाँ/नहीं
7.	बयाना राशि (EMD) मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) राशि रु. 2,000/-	हाँ/नहीं
9.	पिछले आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि (वित्त वर्ष 2017-18)	हाँ/नहीं
10.	बोलीदाता द्वारा इस आशय का ब्योरा दिया गया है कि पिछले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मालिक / फर्म / पार्टियों के खिलाफ कोई पुलिस मामला लंबित नहीं है।	हाँ/नहीं
11.	दिल्ली के NCT में कार्यालय का पता	हाँ/नहीं
12.	समान कार्य के लिए कम से कम दो वर्तमान वैध अनुबंध	हाँ/नहीं

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी जानकारी को प्रस्तुत नहीं करने से बोली को खारिज कर दिया जा सकता है।

**समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग के लिए अनुबंध की शर्तों और शर्तों**

क. काम का दायरा: विश्व मामलों की भारतीय परिषद सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग का कार्य।

ख. नियम एवं शर्तें:

करार एजेंसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में निम्नलिखित कार्य को करेगी

**" समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग"**

नोट: (i) इन कार्यों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार विश्व मामलों की भारतीय परिषद में कारीगरों / कर्मचारियों को सोमवार से शुक्रवार (सुबह 9.00 से शाम 5.30 बजे) तक तैनात करेगा।

**(ii) सामग्री और उपकरण**

संबन्धित कार्य में बाजार में स्थापित मानकों और प्रतिष्ठित निर्माताओं की अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

iii) ठेकेदार इन कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, वे स्वयं काम की निगरानी करेंगे और निर्दिष्ट पुस्तकालय के अधिकारी के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया द्वारा समन्वय करेंगे। ठेकेदार हर सप्ताह विश्व मामलों की भारतीय परिषद को उनके द्वारा तैनात कर्मियों के काम की देखरेख के उद्देश्य के लिए आएगा। विश्व मामलों की भारतीय परिषद के दौरे के दौरान, वह अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पारस्परिक प्रतिक्रिया के लिए, निर्दिष्ट पुस्तकालय के अधिकारी से समय समय पर मिलेगा और उनके कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों और कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करेगा। ठेकेदार द्वारा दो कार्यदिवसों में कार्य न करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा और सक्षम कारीगरों / कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अनुबंधकर्ता सोमवार से शुक्रवार तक 9.00 बजे से शाम 5 बजे तक अनुबंध के तहत काम के संबंधित क्षेत्रों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करेगा।

(iv) ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों को उनके नाम और पते, मतदाता पहचान पत्र, पैन आदि सहित कर्मियों का पूर्ण विवरण नियुक्त करने से पहले परिषद को मुहैया करवाएगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय में जमा की जाएगी। इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए ठेकेदार के कर्मियों के कामकाज सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होंगे। ठेकेदार ये सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मियों को स्वस्थ, सक्रिय और कोई भी संचारी रोग नहीं है।

v) ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए कर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के दौरान परिषद को होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में, ऐसी हानि करार एजेंसी द्वारा परिषद को मुआवजा दिया जाएगा, परिषद को बिल आदि से उचित मात्रा में कटौती करने का अधिकार होगा तथा काउंसिल को ऐसे नुकसान के लिए दंड लगाने का पूर्ण अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों के किसी भी कमी / चूक के मामले में, परिषद अपने अधिकार के भीतर कोई भी कारण बताए बिना अनुबंध को तत्काल समाप्त करने या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

vi) यदि परिषद में ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मृत्यु या दुर्घटना का मामला हुआ, उस स्थिति में मुआवजे की देयता पूरी तरह से ठेकेदार होगी।

vii) इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में उप महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए, किसी भी अधिकारी को विवाद में शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त करेगा और इसपर मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। समझौते के किसी भी खंड की सेवाओं और व्याख्या प्रदान करने के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, आईसीडब्ल्यूए या दिल्ली न्यायालय के पास सभी विवादों को व्यवस्थित करने और तय करने का क्षेत्राधिकार होगा।

viii) लागू नियमों के अनुसार ठेकेदार के बिल से आयकर टीडीएस काट लिया जाएगा।

ix) निर्देशों / समझौतों या तथ्यों के दमन का कोई भी उल्लंघन, किसी भी संदर्भ के बिना, समझौते को रद्द करने को आकर्षित करेगा।

x) अगर ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी चोरी या किसी अवैध / अनियमित गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो ठेकेदार, इस दफ्तर के परामर्श से, कानून के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा और इस कार्यालय को कि गयी कार्रवाई की जानकारी देगा। अगर जरूरत पड़ने पर, ऐसे कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे कर्मियों, जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, को ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय में और अधिक तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

xi) जब भी नियमों और शर्तों या अनुबंध में किसी अनुच्छेद का दोहराव होता है, तो किसी भी विवाद के समय / किसी भी सांविधिक नियमों के बाद, वो खंड जो आईसीडब्ल्यूए के लिए फायदेमंद है, लागू होगा।

**नोट: ये नियम और शर्तें अनुबंध / समझौते का हिस्सा हैं, और किसी भी नियम व शर्त के गैर-अनुपालन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।**

**वित्तीय बोली**

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	रेट प्रति इकाई (आंकड़ों और शब्दों में)
1.	समाचारपत्रों की सिलाई व बाइंडिंग	150 (मासिक सेट )	
2.	संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों की सिलाई व बाइंडिंग	350	
		कुल राशि	
	लागू कर		
		कुल योग	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संख्या:- LIB/04-02/2017-18/Binding/01

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

दिनांक 13.04.2018

निविदा सूचना

कार्य का नाम : विश्व मामलों की भारतीय परिषद में पत्रिकाओं / समाचार पत्रों / संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग के लिए निविदा

महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रकाशन की तिथि	13.04.2018
बोली दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ तिथि	13.04.2018
स्पष्टीकरण प्रारंभ दिनांक	13.04.2018
स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि	17.04.2018 (1700 Hrs)
बोली प्रस्तुत करने की तारीख (ऑनलाइन)	17.04.2018 (1000 Hrs)
बोली प्रस्तुत करने की समाप्ति तिथि (ऑनलाइन)	27.04.2018 (1500 Hrs)
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	27.04.2018 (1530 Hrs)

घ. रुपये 5,000 / - (पांच हजार रूपए) का बयाना (EMD) दिल्ली / नई दिल्ली में किसी भी अनुसूचित बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से केवल नई दिल्ली में देय "विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली", उद्धरण के साथ होना चाहिए तथा यह परिषद में दिनांक 27.4.2018 सायं 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। बयाना धन (EMD) रोकड़/चेक/ सावधि जमा रसीद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बयाना धन (EMD) के बिना प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ड. मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. बोली केवल केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए i.e. <http://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

च. सक्षम प्राधिकारी किसी भी कारण से बिना किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और परिषद के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(राजेश लाल)

अवर सचिव

विश्व मामलों की भारतीय परिषद



## विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

TEL: 011-23317246-49

13.4.2018

विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, उपरोक्त पते पर ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परिषद में पत्रिकाओं / समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के तहत सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

### अनुबंध-I

#### कार्य का विवरण

विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली में इस अनुबंध के तहत काम करने के लिए आवश्यक कार्य का विवरण

नोट: दरों का उद्धरण देने से पहले, ठेकेदारों को अनुमान के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पुस्तकालय में सिलाई और बाइंडिंग के लिए सभी मर्दों का निरीक्षण करना चाहिए।

**"पत्रिकाओं की सिलाई और बाइंडिंग (लगभग 3500) अखबारों की सिलाई और बाइंडिंग (लगभग 150) और संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के सिलाई और बाइंडिंग (लगभग 350)।"**

नोट: इन कार्यों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार सोमवार से शुक्रवार तक आईसीडब्ल्यूए में अपने कारीगरों / कर्मचारियों को तैनात करेगा।

**3.11** जैसा कि नीचे बताया गया है, ऑनलाइन बोली (सभी मामलों में पूर्ण) को दो कवर (तकनीकी और वित्तीय बोलियों) में ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए:

लिफाफा नंबर 1 "तकनीकी बोली" (निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किए जाने के लिए)

#### **क्रम संख्या / दस्तावेज़**

#### **फाइल प्रकार**

- |   |      |
|---|------|
| रुपये 10,000/- (दस हजार केवल) की ईएमडी (स्कैन की गई कॉपी) और        |      |
| i. बैंक विवरण (प्रमाणित प्रति);                                     | .pdf |
| बोली लगाने वाले को बाइंडिंग / सिलाई के कार्य में 3 साल से ज्यादा के |      |
| ii. लिए अस्तित्व में होना चाहिए                                     | .pdf |

बाइंडिंग / सिलाई के ऐसे अनुबंध, जो पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 मार्च 2018

तक एकल अनुबंध के लिए 6 लाख या दो अनुबंधों के मामले में 3 लाख रुपए प्रति या तीन अनुबंधों के मामले में 1.5 लाख रुपये प्रति के लिए ;

इस आशय का प्रदर्शन प्रमाणपत्र कम से कम दो सरकारी विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / कॉर्पोरेट का संलग्न करें ;

.pdf

कार्य के दौरान कोई भी सूचना / डेटा / क्रेडेंशियल्स इत्यादि किसी भी स्थिति में बोलीदाता या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी को भी नहीं बताया जाएगा । इस स्थिति में फार्म और प्रासंगिक गोपनीयता अधिनियम के प्रासंगिक अंश लागू हो;

.pdf

आत्म-प्रमाणित प्रमाण पत्र कि बोलीदाता किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया तथा बोलीदाता / संगठन या इसके मालिक या इसके पार्टनर के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला पूरे भारतवर्ष में कही भी दर्ज नहीं है

.pdf

बोलीदाता पंजीकरण संख्या, पैन नंबर, जीएसटी नंबर के आवंटन से संबंधित दस्तावेज स्वयं साक्षात्कृत फोटोकॉपी का उत्पादन करेगा;

.pdf

अगर बोली लगाने वाले द्वारा उपरोक्त तकनीकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो वह अनुलग्नक- II में निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन कर सकते हैं

.pdf

(तकनीकी बोली)

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं
1.	फर्म लेबर कांट्रैक्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के साथ पंजीकृत है तथा उसकी वैधता तिथि ।	हाँ/नहीं
2.	पिछले 3 वर्षों के लिए बैलेंस शीट और पी एंड एल खाते की प्रतियां, जो प्रति वर्ष 20 लाख की सालाना कारोबार को प्रमाणित करती है।	हाँ/नहीं
3.	प्रॉविडेंट फंड आयुक्त, दिल्ली के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति और ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	हाँ/नहीं
4.	पंजीकरण प्रमाणपत्र / आवंटन पत्र की प्रतिलिपि 1. जीएसटी नंबर 2. आयकर विभाग से पैन	हाँ/नहीं
5.	ईएसआई के पंजीकरण प्रमाणपत्र	हाँ/नहीं
6.	प्रोफार्मा जिसमें अन्य संगठनों के विवरण शामिल हैं तथा जहां ऐसे करार किए गए / हैं	हाँ/नहीं
7.	बयाना राशि (EMD) मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) राशि रु. 10,000/-	हाँ/नहीं
9.	पिछले आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि (वित्त वर्ष 2017-18)	हाँ/नहीं
10.	बोलीदाता द्वारा इस आशय का ब्योरा दिया गया है कि पिछले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मालिक / फर्म / पार्टियों के खिलाफ कोई पुलिस मामला लंबित नहीं है।	हाँ/नहीं
11.	दिल्ली के NCT में कार्यालय का पता	हाँ/नहीं
12.	समान कार्य के लिए कम से कम दो वर्तमान वैध अनुबंध	हाँ/नहीं

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी जानकारी को प्रस्तुत नहीं करने से बोली को खारिज कर दिया जा सकता है।

**पत्रिकाओं / समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग के लिए अनुबंध की शर्तों और शर्तों**

क. काम का दायरा: विश्व मामलों की भारतीय परिषद सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में पत्रिकाओं / समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग का कार्य।

ख. नियम एवं शर्तें:

करार एजेंसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में निम्नलिखित कार्य को करेगी

**"पत्रिकाओं / समाचार पत्र / संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों के सिलाई / बाइंडिंग"**

नोट: (i) इन कार्यों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार विश्व मामलों की भारतीय परिषद में कारीगरों / कर्मचारियों को सोमवार से शुक्रवार (सुबह 9.00 से शाम 5.30 बजे) तक तैनात करेगा।

**(ii) सामग्री और उपकरण**

संबन्धित कार्य में बाजार में स्थापित मानकों और प्रतिष्ठित निर्माताओं की अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

iii) ठेकेदार इन कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा, वे स्वयं काम की निगरानी करेंगे और निर्दिष्ट पुस्तकालय के अधिकारी के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया द्वारा समन्वय करेंगे। ठेकेदार हर सप्ताह विश्व मामलों की भारतीय परिषद को उनके द्वारा तैनात कर्मियों के काम की देखरेख के उद्देश्य के लिए आएगा। विश्व मामलों की भारतीय परिषद के दौरे के दौरान, वह अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पारस्परिक प्रतिक्रिया के लिए, निर्दिष्ट पुस्तकालय के अधिकारी से समय समय पर मिलेगा और उनके कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों और कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करेगा। ठेकेदार द्वारा दो कार्यदिवसों में कार्य न करने वाले कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा और सक्षम कारीगरों / कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अनुबंधकर्ता सोमवार से शुक्रवार तक 9.00 बजे से शाम 5 बजे तक अनुबंध के तहत काम के संबंधित क्षेत्रों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करेगा।

(iv) ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों को उनके नाम और पते, मतदाता पहचान पत्र, पैन आदि सहित कर्मियों का पूर्ण विवरण नियुक्त करने से पहले परिषद को मुहैया करवाएगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय में जमा की जाएगी। इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए ठेकेदार के कर्मियों के कामकाज सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होंगे। ठेकेदार ये सुनिश्चित करेगा कि तैनात कर्मियों को स्वस्थ, सक्रिय और कोई भी संचारी रोग नहीं है।

v) ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए कर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के दौरान परिषद को होने वाले किसी भी नुकसान के मामले में, ऐसी हानि करार एजेंसी द्वारा परिषद को मुआवजा दिया जाएगा, परिषद को बिल आदि से उचित मात्रा में कटौती करने का अधिकार होगा तथा काउंसिल को ऐसे नुकसान के लिए दंड लगाने का पूर्ण अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों के किसी भी कमी / चूक के मामले में, परिषद अपने अधिकार के भीतर कोई भी कारण बताए बिना अनुबंध को तत्काल समाप्त करने या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

viii) यदि परिषद में ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का निर्दिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मृत्यु या दुर्घटना का मामला हुआ, उस स्थिति में मुआवजे की देयता पूरी तरह से ठेकेदार होगी।

ix) इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में उप महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए, किसी भी अधिकारी को विवाद में शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त करेगा और इसपर मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। समझौते के किसी भी खंड की सेवाओं और व्याख्या प्रदान करने के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, आईसीडब्ल्यूए या दिल्ली न्यायालय के पास सभी विवादों को व्यवस्थित करने और तय करने का क्षेत्राधिकार होगा।

viii) लागू नियमों के अनुसार ठेकेदार के बिल से आयकर टीडीएस काट लिया जाएगा।

ix) निर्देशों / समझौतों या तथ्यों के दमन का कोई भी उल्लंघन, किसी भी संदर्भ के बिना, समझौते को रद्द करने को आकर्षित करेगा।

x) अगर ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी चोरी या किसी अवैध / अनियमित गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो ठेकेदार, इस दफ्तर के परामर्श से, कानून के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा और इस कार्यालय को कि गयी कार्रवाई की जानकारी देगा। अगर जरूरत पड़ने पर, ऐसे कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे कर्मियों, जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, को ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय में और अधिक तैनात नहीं किया जाना चाहिए।

xi) जब भी नियमों और शर्तों या अनुबंध में किसी अनुच्छेद का दोहराव होता है, तो किसी भी विवाद के समय / किसी भी सांविधिक नियमों के बाद, वो खंड जो आईसीडब्ल्यूए के लिए फायदेमंद है, लागू होगा।

**नोट: ये नियम और शर्तें अनुबंध / समझौते का हिस्सा हैं, और किसी भी नियम व शर्त के गैर-अनुपालन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।**

**वित्तीय बोली**

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	रेट प्रति इकाई (आंकड़ों और शब्दों में)
1.	जरनल्स की सिलाई व बाइंडिंग	3500	
2.	समाचारपत्रों की सिलाई व बाइंडिंग	150 (मासिक सेट )	
3.	संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों की सिलाई व बाइंडिंग	350	
		कुल राशि	
	लागू कर		
		कुल योग	